



2026:AHC:20079

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 123 सन् 2026

कृष्ण राज

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: आनन्द कुमार, विनोद कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिवादीयों के विद्वान अपर सी.एस.सी. श्री अरुण कुमार पाण्डेय एवं प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्राथना सहित दायर की गई है:

"प्रतिवादी संख्या 2 को ग्राम तेलियाताल, परगना केवई, तहसील हंडिया, प्रयागराज में स्थित अराजी संख्या 765 एवं 766 (जिनकी भूमि की प्रकृति चक मार्ग एवं नाली हैं) से विधि के अनुसार अतिक्रमण हटाने हेतु परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि निजी प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाही वर्ष 2024 से लंबित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखण्ड की प्रविष्टि के दृष्टिगत, तहसीलदार को समयबद्ध अवधि में लंबित कार्यवाही निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए, ताकि प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया जा सके।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, हंडिया, प्रयागराज, वाद संख्या T202402030401964 को उ.प्र. राजस्व संहिता,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2006 की धारा 67 के अन्तर्गत सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक निर्णीत करें।

29 जनवरी, 2026

सी.प्रकाश

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।